

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1
संख्या-4/2017/आडिट-1-623/दस-2017-308(3)/15
लखनऊ : दिनांक : 29 जून, 2017

विज्ञप्ति/प्रोन्नति/नियुक्ति

श्री राज्यपाल महोदय, मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, संगठन उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों (वेतन बैण्ड-2 रूपये 9300-34800 ग्रेड वेतन रू0 4800/-) को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद (वेतन बैण्ड-3 रूपये 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 5400/-) पर मौलिक रूप से पदोन्नति प्रदान करते हुए अग्रिम आदेशों तक वर्तमान तैनाती के स्थान/जनपद में ही नियुक्त/तैनात किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं :-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम
1	2
1	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह
2	श्री विद्याशंकर द्विवेदी
3	श्री मोहम्मद आयूब
4	श्री राम सनेही त्रिपाठी
5	श्री केशरी प्रसाद त्रिपाठी
6	श्री अजय कुमार तिवारी
7	श्री सूर्यभान सिंह
8	श्री अनिल कुमार सिंह
9	श्री रविकान्त पाठक

2- उक्त अधिकारियों को प्रोन्नत के पद पर योगदान देने की तिथि से ही जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3- उक्त अधिकारियों को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली-2013 यथासंशोधित 2016 के अनुसार विहित परिवीक्षा

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अवधि पर रखा जाता है।

4- अन्यत्र तैनाती के सम्बन्ध में आदेश पृथक से यथासमय निर्गत किये जायेंगे।

कुमुदलता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-4/2017/आडिट-1-623(1)/दस-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-79(1)/08/पी0/एस-5/2016-17, दिनांक 22 नवम्बर, 2016 के सन्दर्भ में।
- 3- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- सम्बन्धित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी।
- 5- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 6- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 7- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

उमा द्विवेदी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।